पत्रिकाओं में छपने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 4152/2023

(@ विशेष अनुमति सिविल याचिका संख्या 3656/2021)

श्रमिक
भारतीय खाद्य निगम कार्यकारी कर्मचारी यूनियन
के संयुक्त सचिव (कल्याण) के माध्यम से .....अपीलार्थी

बनाम

नियोक्ता अर्थात्
भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन एवं अन्य .....उत्तरदातागण

साथ में

सिविल अपील संख्या 4153/2023

(@ विशेष अनुमति सिविल याचिका संख्या 13620/2021)

निर्णय

संजय कुमार, न्याया.

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एल.पी.ए. संख्या 80/2019 में दिनांक 17.12.2020 को पारित एक ही निर्णय के विरुद्ध की गई ये दोनों अपीलें संयुक्त रूप से निपटान किए जाने योग्य हैं।

3. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(डी) के तहत अपने आदेश दिनांक 12.01.1996 के तहत भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी कर्मचारी यूनियन द्वारा उठाए गए 21 अनियमित श्रमिकों के मामले के औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित किया है। इस विवाद को केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद (आगे इसे 'न्यायाधिकरण' कहा जाएगा) भेज दिया गया और संदर्भ संख्या 128/1996 के रूप में अंकित किया गया। उक्त संदर्भ की अनुसूची में समाधान हेतु विवाद को इस प्रकार दर्ज किया गया है :

> 'क्या भारतीय खाद्य निगम, पटना प्रबंधन द्वारा कार्रवाई करके श्री शशि शंकर और 20 अन्य (सूची संलग्न) की छंटनी उचित और विधिसम्मत है? यदि नहीं, तो संबंधित श्रमिक किस प्रकार के राहत के हकदार हैं?'

4. न्यायाधिकरण के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से एक-एक गवाह का परीक्षण कराया गया। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के प्रबंधन की ओर से प्रदर्श-M1 से M7 चिह्नित किए गए तथा श्रमिकों की ओर से प्रदर्श-W1 से W12 तक को चिह्नित किया गया। दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने पाया कि विचाराधीन 21 श्रमिकों को पटना में एफसीआई द्वारा अनियमित श्रमिकों के रूप में काम पर रखा गया था और अवैध रूप से उनकी छंटनी कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें न तो नोटिस दिया गया था और न ही मुआवजा। इसके अलावा न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि अनियमित श्रमिकों की को पुन:

बहाल करने एवं उन्हें नियमित करने का निर्देश देने वाले उसके फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, अतः न्यायाधिकरण ने राय दी कि इन 21 श्रमिकों की सेवाएं भी नियमित की जानी चाहिए चूंकि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रिक्तियां उपलब्ध थीं। परंतु श्रमिकों ने लंबे समय तक काम नहीं किया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने उनके पिछले वेतन के अधिकार पर रोक लगा दी। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.03.1997 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि एफसीआई प्रबंधन द्वारा इन श्रमिकों की छंटनी करने की कार्रवाई को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही प्रबंधन को निर्देश दिया कि उन्हें फिर से बहाल करे और छंटनी की तारीख यानी 10.05.1990 से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित करे तथा उनके पिछले वेतन का 75% भुगतान भी निश्चित समय सीमा के भीतर करे।

5. उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर एफसीआई प्रबंधन ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूजेसी सं. 953/1998 (आर) दायर किया। इस रिट याचिका में 05.08.1999 को न्यायाधिकरण के निर्णय पर इस शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी गई कि एफसीआई श्रमिकों को अंतिम प्रदत्त पूरी मजदूरी का भुगतान जारी रखेगा। इसके बाद, प्रबंधन ने कहा कि वे केवल न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं और उन्हें प्रति श्रमिक 507 रुपये प्रति माह का भुगतान करना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर श्रमिकों ने अवमानना वाद एमजेसी केस संख्या 371/2000 दायर किया। इस अवमानना मामले का निपटान 12.05.2000 को किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि एफसीआई प्रबंधन ने स्थगन आदेश दिनांक 05.08.1999 में वर्णित शर्त का पालन दो सप्ताह के भीतर नहीं किया, तो यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा और श्रमिक पंचाट को लागू करने के लिए कदम उठाने के हकदार होंगे। इसके बाद प्रबंधन ने उक्त पंचाट लागू करते हुए 10/17.11.2000, 24/26.11.2000 और 27.11.2000 दिनांकित

आदेश जारी किए। श्रमिकों को नियमित सेवा में आमेलित कर लिया गया और 10.05.1990 से 18.03.1997 तक के पिछले वेतन का 75% और उसके बाद की अवधि के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए लागू पूर्ण वेतन का भुगतान शुरू किया गया। यह अनुपालन रिट याचिका के अंतिम निर्णय आने के शर्त पर रखा गया था।

6. हालाँकि, झारखंड उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 01.11.2018 के अपने आदेश द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 953/1998 (आर) को खारिज कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि संबंधित श्रमिकों ने पिछले 12 महीनों में एफसीआई पटना में 240 दिनों तक काम किया था और उसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना ही उन्हें काम करने से रोक दिया गया था। इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रबंधन ने श्रमिकों के इस दावे का खण्डन नहीं किया है कि इसी प्रकार के पूर्व के एक मामले में कुछ लोगों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सेवा में नियमित किया गया था और उसने विचाराधीन श्रमिकों के मामलों को नियमित किए गए श्रमिकों के मामले का उससे अलग होने का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसा कहने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि कोई अनियमित श्रमिक, जिसने पिछले कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था, केवल तभी पुनर्बहाल किए जाने का हकदार होगा, यदि बिना किसी नोटिस या (उसके बदले) मुआवजे के उसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ के तहत प्रावधान किया गया है परंतु वह नियमितीकरण की मांग करने का हकदार नहीं होगा। चूंकि प्रबंधन ने रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश में लगाई गई शर्तों का पालन किए बिना आक्षेपित पंचाट का अनुपालन करने

का फैसला किया था और चूंकि संबंधित श्रमिक पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से आक्षेपित पंचाट का लाभ उठा रहे थे, अतः विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि यदि अब उनकी स्थिति बदल दी जाती है, तो उन्हें बहुत कठिनाई होगी। तदनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने पंचाट को पूरी तरह बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

7. उसके बाद प्रबंधन ने इस मामले की एलपीए संख्या 80/2019 के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष अपील की। खंडपीठ ने दिनांक 17.12.2020 के निर्णय के द्वारा आक्षेपित आदेश को संशोधित किया और पंचाट को इस सीमा तक खारिज करते हुए श्रमिकों को नियमित करने का निर्देश दिया। यह संशोधन इस आधार पर किया गया था कि औद्योगिक विवाद के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए कोई शर्त नहीं है, इसलिए ऐसी राहत बरकरार नहीं रखी जा सकती। खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित के उस आदेश को अपास्त कर दिया जिसमें उन्होंने सेवा नियमित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था, और अपील का निपटान कर दिया, लेकिन पिछले वेतन का 75% भुगतान करने के निर्देश पर कुछ नहीं कहा।

8. दोनों पक्षों ने खंडपीठ के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील की है। एफसीआई के कार्यकारी कर्मचारी यूनियन ने अपनी सेवाओं को नियमित करने से इनकार करने से व्यथित होकर संबंधित श्रमिकों की ओर से अपील दायर की है, जबकि एफसीआई प्रबंधन ने श्रमिकों की पुनर्बहाली और पिछले वेतन का 75% भुगतान करने के निर्देश के खिलाफ अपील की है। श्रमिकों की ओर से दायर एसएलपी (सी) 3656/2021 पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने 08.03.2021 को नोटिस जारी करके खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगा दी थी।

इस स्थगन आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका (सी) संख्या 366/2021 दायर की गई थी और 26.07.2022 को कुछ टिप्पणियां करके उसका निपटान कर दिया गया था।

9. गौरतलब है कि खंडपीठ के दिनांक 17.12.2020 के फैसले के पैरा 12 में दर्ज है कि एफसीआई प्रबंधन के विद्वान वकील ने पंचाट के उस भाग पर आपत्ति नहीं जताई, जिसके तहत पुनर्बहाली और 75% तक पिछले वेतन के भुगतान के निर्देश दिए गए थे। प्रबंधन केवल नियमितीकरण से संबंधित आदेश से व्यथित था। वास्तव में, खंडपीठ के समक्ष की गई अपील में प्रबंधन ने मुख्य रूप से श्रमिकों के नियमितीकरण पर ही आपत्ति की थी और पुनर्बहाली के मुद्दे का संदर्भ बहुत सीमित था। किसी भी स्थिति में, खंडपीठ के स्पष्ट अभिलेखन के आलोक में प्रबंधन ने पुनर्बहाली और पिछले वेतन के भुगतान के निर्देश तक आपत्ति नहीं जताई है तो प्रबंधन को इस मुद्दे को इस न्यायालय के समक्ष उठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए, इन मुद्दों को उठाने वाली एफसीआई प्रबंधन द्वारा दायर अपील इस संक्षिप्त आधार पर खारिज करने योग्य है।

10. जहां तक श्रमिकों की ओर से दायर अपील का संबंध है, उसमें उठाया गया एकमात्र मुद्दा उन श्रमिकों को नियमित करने और ऐसी राहत देने की पंचाट की सीमा की वैधता है। इस स्तर पर, हम देखते हैं कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला है कि न्यायाधिकरण द्वारा सेवा में नियमितीकरण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था, फिर भी उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि इस बीच, श्रमिकों ने लगभग 18 साल तक नियमित सेवा प्रदान की थी और इसलिए उस स्तर पर हस्तक्षेप करना उनके लिए कठिन होता। तथापि, खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई गलत आदेश

पारित किया गया था, तो उसे बरकरार रखने के बजाय उस गलती को सुधारना ही श्रेष्ठ होगा। हालाँकि खंडपीठ ने उन परिस्थितियों पर विचार नहीं किया, जो न्यायाधिकरण के पंचाट को बरकरार रखते समय विद्वान न्यायाधीश के समक्ष थीं, जैसे- एफसीआई प्रबंधन ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पंचाट में दी गई राहत को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया था और श्रमिकों ने 18 वर्षों तक इसका लाभ भी उठाया। इस संबंध में पंचाट के अनुपालन में प्रबंधन द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 24/26.11.2000 प्रासंगिक है, जिसमें अंकित है:

भारतीय खाद्य निगम

जिला कार्यालय: उत्तरी गांधी मैदान (गया)

संदर्भ: सं. स्था.10[सी/एल-सह-श्रेणी-IV]/2000/1927 24/26.11.2000

कार्यालय आदेश

आई.डी. वाद सं. 128/96 में सीजीआईटी धनबाद द्वारा दिनांक 18.03.1997 को पारित पंचाट तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं रांची द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 953/98[आर] में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.8.1999 और उसके बाद एमजेसी संख्या 371/2000 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2000 के अनुसार और वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई, पटना के कार्यालय आदेश संख्या स्था.30[88]/94-भाग-II दिनांक 10.11.2000 के अनुपालन में निम्नलिखित पूर्व-अनियमित श्रमिकों को दिनांक 10.05.90 से चतुर्थ श्रेणी [चौकीदार] में पुनर्बहाल किया जाता है। ।

वे 10.05.1990 से 18.03.1997 तक पिछले वेतन का 75% और उसके बाद चुतर्थ श्रेणी के निर्धारित वेतन पाने के हकदार होंगे।

इसके अलावा, उपरोक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची पीठ के समक्ष लंबित सीडब्ल्यूजेसी संख्या 953/98 के निर्णय के अधीन होगा।

उन्हें इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 [दस] दिनों के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

क्र. सं. नाम

1. श्री शशि शंकर.

…..

21. श्री अजय कुमार.

ह0/-

जिला प्रबंधक[प्रभारी]

....'

11. इसके बाद एफसीआई प्रबंधन ने 27.11.2000 को एक शुद्धिपत्र जारी किया, जो काफी महत्वपूर्ण है। शुद्धिपत्र इस प्रकार है:

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय,पटना-1

संदर्भ:सं. स्था.30[88]/94-भाग-II दिनांक: 27.11.2000

शुद्धिपत्र

एफएसडी, चंदौती में कार्यरत श्री शशि शंकर और 20 अन्य अनियमित श्रमिकों की बहाली के संबंध में दिनांक 10/17.11.2000 को जारी समसंख्यक कार्यालय आदेश की पंक्ति 6 में उल्लिखित शब्द "पुनर्बहाल" को "आमेलित" पढ़ा जाए।

एसडी/-

क्षेत्रीय प्रबंधक

...'

12. उल्लेखनीय है कि एफसीआई प्रबंधन के लिए आवश्यक यह था कि वह सीडब्ल्यूजेसी सं. 953/1998 (आर) में दिनांक 05.08.1999 के अंतरिम आदेश के अनुसार संबंधित श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17बी के अनुपालन और उक्त रिट याचिका का निपटान होने तक उन्हें अंतिम प्रदत्त मजदूरी का भुगतान करते। इसके बाद, एमजेसी केस संख्या 371/2000 में पारित दिनांक 12.05.2000 के अंतिम आदेश के द्वारा प्रबंधन को केवल यह नोटिस दिया गया कि यदि दो सप्ताह के भीतर सशर्त स्थगन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो उक्त स्थगन आदेश निरस्त हो जाएगा और कर्मचारी पंचाट को लागू करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस स्थिति में, एफसीआई प्रबंधन ऐसा सुनिश्चित करने के बाद संबंधित श्रमिकों को अंतिम प्रदत्त मजदूरी का भुगतान जारी रख सकता था। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उसके अंतरिम आदेश के अनुपालन में इतनी कार्रवाई ही पर्याप्त होती। फिर भी एफसीआई प्रबंधन ने ऐसी कार्रवाई नहीं की। प्रबंधन ने अपनी मर्जी से न केवल कार्यालय आदेश दिनांक 10/17.11.2000 और 24/26.11.2000 के तहत संबंधित श्रमिकों को न केवल पुनर्बहाल कर दिया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर दिनांक 27.11.2000 को शुद्धिपत्र जारी कर उक्त श्रमिकों को नियमित सेवा में 'आमेलित' भी कर दिया। इस प्रकार, इस रिट याचिका में केवल सशर्त अंतरिम सुरक्षा ही प्रदान की गई थी, तब भी एफसीआई प्रबंधन ने स्वेच्छा से पचाट को संपूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया।

13. एफसीआई के प्रबंधन की इस दलील में दम नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे अवमानना की धमकी देकर पंचाट का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि एमजेसी केस संख्या 371/2000 में अवमानना की कार्यवाही दिनांक

12.05.2000 को ही बंद कर दी गई थी और बहुत बाद में यानी नवंबर 2000 में 'बहाली' और 'आमेलन' के आदेश जारी किए गए। स्वयं ही ऐसी कार्रवाई कर ली गई और इसे लंबित रिट याचिका के निर्णय के अधीन भी रखा गया। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या एफसीआई प्रबंधन को इस अंतिम चरण में सबकुछ बदल देने की अनुमति दी जा सकती है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि प्रबंधन ने पंचाट के अनुपालन के बाद कम-से-कम इस रिट याचिका के शीघ्र निपटान की मांग भी की हो, जिसके निर्णय के अधीन वह आदेश जारी किया गया था। इससे इतर, प्रबंधन ने नवंबर 2018 में रिट याचिका के खारिज होने तक अर्थात 18 वर्षों तक यथास्थिति बने रहने दिया।

14. इस तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, हमारी राय है कि झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पंचाट को बरकरार रखते हुए इस रिट याचिका को जिस आधार पर खारिज किया, वह पूरी तरह से उचित था।

भारत संघ और अन्य बनाम एन. मुरुगेसन और अन्य [(2022) 2 एससीसी 25] में इस न्यायालय ने कहा था कि 'एप्रोबेट' और 'रिप्रोबेट' शब्दों का अर्थ है कि किसी भी पक्ष को एक ही चीज़ को एक ही साथ स्वीकार भी करने और अस्वीकार भी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि चुनाव का सिद्धांत 'एप्रोबेट' और 'रिप्रोबेट' की अवधारणा में अंतर्निहित है। अर्थात, किसी व्यक्ति को किसी लिखित दस्तावेज पर सवाल उठाते हुए उसी समय उसका लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भी कहा गया था कि इस सिद्धांत में निष्पक्षता का एक तत्व अंतर्निहित है और यह किसी पक्ष के आचरण से संबंधित विबंध का एक प्रकार है।

15. मौजूदा मामले में, एफसीआई प्रबंधन ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है परंतु उसी आदेश में सशर्त अंतरिम राहत प्राप्त करके प्रबंधन ने आक्षेपित पंचाट को लागू किया जबकि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, प्रबंधन केवल श्रमिकों को सेवा में पुन: बहाल करने तक ही नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़कर उन्हें नियमित सेवा में आमेलित भी कर लिया। दिनांक 05.08.1999 के अंतरिम आदेश के अनुसार सेवा में इस तरह का आमेलन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था और इसलिए, इसे पूरी तरह से एफसीआई के प्रबंधन द्वारा स्वेच्छा से की गई कार्रवाई ही माना जाएगा। वास्तव में, एफसीआई प्रबंधन ने, चाहे जो भी कारण रहे हों, पंचाट को पूरी तरह से स्वीकार करने और लागू करने का फैसला किया, और फिर इस अनुपालन को रिट याचिका के निर्णय के अधीन भी कर दिया। अंत में, रिट याचिका के शीघ्र निपटान के लिए समय पर उपाय नहीं किए जाने के कारण यह मामला और अधिक उलझ गया और 18 साल लंबा समय बीत गया, जिसे विद्वान न्यायाधीश ने निर्णायक रूप से महत्व दिया और हमारी सुविचारित राय में, यह सही भी था। किसी मामले में किसी भी पक्ष को उसी कार्य को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे उसने अपनी इच्छा से किया हो; इससे लाभ प्राप्त करे; विरोधी पक्ष को अपनी स्थिति प्रभावी ढंग से बदलने के लिए प्रेरित करे; और वह भी बहुत लंब समय बीत जाने के बाद उसे चुनौती दे।

16. श्रमिकों को दो दशकों से अधिक समय तक अपने लाभ के लिए नियमित सेवा में रखने के बाद, प्रबंधन अब उस पंचाट को जारी रखने से मना करने और अपनी चुनौती देने के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, केवल इसलिए कि उसने काफी समय पहले पंचाट के अनुपालन को सशर्त बना दिया है। नियमित सेवा में आमेलन के आलोक में, इन श्रमिकों ने,

जिन्होंने अन्य कहीं और रोजगार के अवसरों का विकल्प चुना होता, अपनी स्थिति बदल ली और एफसीआई के साथ बने रहे। उन्हें उस पद पर रखने के बाद, अब एफसीआई प्रबंधन के लिए अपना फैसला पलटने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। दुर्भाग्य से, प्रबंधन की अपील पर सुनवाई करते समय खंडपीठ ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। मामले के उस दृष्टिकोण में, खंडपीठ द्वारा उठाए गए कानूनी रूप से वजनदार लेकिन निश्चित रूप रूप से विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार करके, हम तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करते हुए दो दशकों से अधिक समय से बनी हुई स्थिति को बदलने के इच्छुक नहीं हैं।

17. श्रमिकों की ओर से एफसीआई के कार्यकारी कर्मचारी यूनियन द्वारा दायर अपील में कई गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है और झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एलपीए नंबर 80/2019 में दिनांक 17.12.2020 के फैसले को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, विद्वान न्यायाधीश द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 953/1998 (आर) में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 और केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद द्वारा संदर्भ संख्या 128/1996 में पारित आदेश दिनांक 18.03.1997 को पुनर्बहाल किया जाता है, जो इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 3656/2021 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 366/2021 में पारित दिनांक 26.07.2022 के आदेश में की गई टिप्पणियों के अधीन होगी।

एफसीआई प्रबंधन द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है।

दोनों अपीलों में लंबित आई.ए., (यदि कोई हो,) समाप्त मानी जाएगी।

संबंधित पक्ष अपनी-अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

……...न्याया.

[कृष्ण मुरारी]

…….... न्याया.

[संजय कुमार]

नयी दिल्ली;

3 जुलाई 2023.

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।